न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 13/2022 G.C.M.S. No. 2022/74 दर्ज दिनांक : 01.04.2022

अपीलार्थिगण:

1–प्रेमलता पत्नि विकास चन्द जाति जैन निवासी राणावास स्टेशन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली हाल निवासी नंबर 43, ई.वी.के. संपत रोड़ वेपेरी, चैन्नई–600007

2– नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. अमर चन्द जैन जाति जेन निवासी राणावास स्टेशन तहसील मारवाड़ जक्शन जिला पाली हाल निवासी नंबर 482, टी.एच.रोड़, पुराना धोबी, चैन्नई–600021

3– इन्दिरा बाई उर्फ इन्द्रा कुमारी पुत्री स्व. अमर चन्द पत्नि श्री प्रकाश जाति जैन निवासी 1, कांडप्पा स्टीट्र मैडॉक्स स्ट्रीट एंट्रेंस, चूलाई, चैन्नई–600112

4– सरस्वती जैन पुत्री स्व. अमर चन्द पत्नि प्रकाश जाति जैन निवासी नंबर 39/40, प्रकाश प्रीतम निवास, मैडॉक्स स्ट्रीट, बेकर 1/2 स्ट्रीट, चुलाई, चैन्नई–600112

5– संतोष पुत्री स्व. अमर चन्द पत्नि महावीर जाति जैन निवासी नया नंबर 2, पुराना नंबर–16/2, महरीरजपुरा सस्थानन, सप्लाई, टी. नगर, चैन्नई–600017

6– सविता पुत्री स्व. श्री अमर चन्द पत्नि स्व. यशवंत जाति जैन निवासी नंबर–12/229, गांधी रोड, बैलाचेरी, चैन्नई–6000042

7– मैनाबाई पुत्री स्व. अमर चन्द पत्नि प्रकाश जाति जैन निवासी 698/699, 15वाँ मेन रघु सेरेनिटी अपार्टमेंट, फ्लेट नंबर 102 जे. पी. नगर द्वितीय चरण, बैंगलोर–560078

8– संगीता पुत्री स्व. अमर चन्द पत्नि अरविन्द जाति जैन निवासी नंबर 115, दूसरा लिंक, गली राघवन कॉलोनी, अशोक नगर, सी. एच. चैन्नई–83

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1–सरकार राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

2– सुकिया देवी पुत्री स्व. किशनाराम पत्नि मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल निवासी बिजलीयावास तहसील सोजत सिटी जिला पाली।

3– हजारीराम पुत्र स्व. लच्छाराम जाति मेघवाल निवासी सारंगवास तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

4– प्रेम देवी पुत्री स्व. लच्छाराम पत्नि पोकरराम जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल निवासी मेघवालों का बास, बालेलाव तहसील व जिला पाली।

5– अणची पुत्री स्व. लच्छाराम पत्नि मिश्रीलाल जाति मेघवाल निवासी राणावास हाल निवासी मेघवालों का बास, देवली कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

6– प्रेमनाथ पुत्र स्व. मंशाराम योगी

7–जसनाथ पुत्र स्व. मंशाराम योगी

8– सुरेन्द्रनाथ पुत्र स्व. भीकनाथ जाति नाथ (योगी) निवासी राणावास

9– नरेन्द्रनाथ पुत्र स्व. भीकनाथ

10– इन्द्रनाथ पुत्र स्व. भीकनाथ

11– मु0 जेठी बेवा स्व. भीकनाथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

12– सुरेन्द्र पुत्र पोकरनाथ जाति योगी (नाथ) निवासी खारची तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
13– मु० कमला पुत्री स्व. पोकरनाथ पत्नि किस्तुर नाथ जाति योगी (नाथ) निवासी जोगेलाव तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
14– सुरेश कुमार पुत्र स्व. मोहनलाल जाति नायक आयु 36 साल निवासी 497, नायकों का बास ग्राम सवराड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।
15– गुड्डी देवी पत्नि सुरेश कुमार जाति नायक आयु 32 साल निवासी 497, नायकों का बास ग्राम सवराड तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 324/2021 बअनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम किशना के कायम मुकाम सुकियादेवी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022

पैरोकार–

1. श्री गोपीकिशन शर्मा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. राजकीय पैरोकार, रेस्पोंडेंट संख्या 1
3. श्री किशन सोनी, श्री दीनानाथ, विद्वान अभिभाषक शेष रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 24.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 324/2021 बअनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम किशना के कायम मुकाम सुकियादेवी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में दिनांक 23–4–1970 को ग्राम राणावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 429 व 430 कुल किता 2 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 602, 603, 604 व 605 हुए हैं, के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बेदखली के अनुतोष हेतु एक दावा रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 के हक पूर्वाधिकारी श्री किशना व लच्छा पुत्रान दुर्गा भाम्बी (मेघवाल) ने अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष श्री मंसा व किशना पुत्रान हुक्मा योगी के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 183 के तहत प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिसम्मत नहीं हैं। चूंकि हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार खारची द्वारा दिनांक 9–3–1976 को जो आवेदन अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तत्कालीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसमें किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का कोई विवरण अंकित किये बिना मात्र यह अंकित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत निम्न व्यक्तियों ने अपनी खातेदारी भूमि का हस्तांतरण किया है, जो अवैध है। कृपया उनके विरूद्ध आर.टी.ए. की धारा 175 के तहत कार्यवाही की जावे और तहसीलदार खारची ने किशना व लच्छा पुत्रान दुर्गा, कौम भाम्बी के नाम, जिनके द्वारा हस्तांतरण किया जाना कहा गया, उनके नाम अंकित किये और मंशा व किशना पुत्रान हुकमा योगी, उनके नाम उस व्यक्ति के रूप में अंकित किये गये, जिनके पक्ष में हस्तांतरण किया गया और हस्तांतरण का वर्ष दिनांक 14–6–1968 अंकित किया गया। उक्त आवेदन में किसी भी प्रकार के हस्तांतरण होने का कोई विवरण अंकित ही नहीं था और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सोजत ने दिनांक 10–12–1976 के अपने निर्णय द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत चाही गई कार्यवाही को निरस्त फरमा दिया था, जिस निर्णय के विरूद्ध तत्समय किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा गम्भीर रूप से अवधि बाधित एक अपील अनियमित रूप से प्रस्तुत की गई। जिस पर विधिविरूद्ध निर्णय पारित करते हुये राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 28–10–2021 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार कर केस रिमाण्ड किया, उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2021/6173 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है। उक्त समस्त कार्यवाही की अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गई। परन्तु फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने के पश्चात् भी विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध व अनियमित कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन के समक्ष अपीलार्थी संख्या 2 ने दिनांक 21–2–2022 को एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसका रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 25–2–2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने उक्त आवेदन पर अपीलार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी जाना तथा जो आपत्तियों आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में अंकित की, उन पर किसी भी प्रकार का कोई विचार किये बिना ही दिनांक 4–3–2022 के आदेश द्वारा उक्त आवेदन को निरस्त फरमा दिया। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 मात्र उन्हीं प्रकरणों में लागू होती है जहां

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

किसी अनुसूचित जाति के कृषक द्वारा अपनी कृषिजोत किसी प्रकार से हस्तांतरित अथवा सबलेट की गई हो या उनके द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेज तहरीर किया गया हों। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई भी स्थिति विद्यमान ना होने के पश्चात भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 175 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण को दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। अन्यथा भी यदि उपखण्ड अधिकारी धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक समझते थें तो धारा 176 के अन्तर्गत ही डिक्री प्रदान की जा सकती हैं और ऐसी डिक्री में न्यायालय को मात्र यह क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है कि वे हस्तांतरण कर्ता तथा हस्तांतरीति, दोनों को उक्त भूमि से बेदखल कर दें, अन्य किसी प्रकार के अधिकारों के विनिश्चिय करने का धारा 175 एवं 176 के अन्तर्गत कोई क्षेत्राधिकार ही नहीं हैं। परन्तु फिर भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/वाद अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को पोषणीय नहीं होना मानते हुये निरस्त करने का निर्णय पारित करने के साथ ही रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने और राजस्व भू–अभिलेखों में उनके नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किये जाने का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की हैं, जो पूर्णतः क्षेत्राधिकार के बाहर होने की वजह से अवैध व अनियमित है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23–3–2022 को जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने वे तथ्य अंकित किये हैं जो पत्रावली पर मौजूद ही नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नामांतरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय की कोई प्रति उपलब्ध ही नहीं हैं। परन्तु फिर भी उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उद्धृत किया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के बाहर जाकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी में अपने निर्णय में अंकित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने येनकेन प्रकारेण रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 अंतिम हो चुका है। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में अपील मंजूर कर सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 324/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022 को अपास्त फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि मूल प्रकरण तत्कालीन सक्षम अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा निर्णय दिनांक 10.12.1976 द्वारा खारिज किया जा चुका था तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील संख्या 28ए/2021 बअनवान मृतक किशना के का.मु. सुकियादेवी वगैरह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 जिसके द्वारा अपील मंजूर कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर राजस्व वाद संख्या 324/2021 बअनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम किशना के कायम मुकाम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम को खातेदारी प्रदान की गई। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील जैरकार है। चूंकि प्रकरण न्यायालय हाजा के जिस निर्णय दिनांक 28.10.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, उक्त न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 28.10.2021 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 30.10.2025 द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 एवं इसके पश्चात की गई समस्त कार्यवाही उक्त निर्णय से आच्छादित व इस पर आश्रित होने से स्वतः अपास्त हो चुकी हैं तथा प्रकरण में अपीलाधीन आराजीयात की भू–अभिलेख की दिनांक 28.10.2021 के ठीक पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी हैं। अर्थात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.10.2021 अपास्त कर देने से इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में की गई समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022 तथा उक्त निर्णय व डिक्री की अनुपालना में वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में हुए समस्त परिवर्तन/इन्द्राजात/नामांतरण आदि तथा किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंतरण आदि उक्त निर्णय से आच्छादित व प्रभावित होने से आरंभतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

शून्य एवं अस्तित्वहीन हो चुके हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात की भू–अभिलेख की दिनांक 23.03.2022 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा से भी इसकी पुष्टि होती हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अस्तित्वहीन हो जाने से पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की दिनांक 23.03.2022 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मारवाड़ ज़ंक्शन द्वारा राज़स्व वाद संख्या 324/2021 बअनवान तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन बनाम किशना के कायम मुकाम सुकियादेवी वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.03.2022 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 23.03.2022 एवं इसके पश्चात उक्त अपास्त निर्णय व डिक्री की पालना में वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख में किए गए समस्त परिवर्तन/नामांतरण/इन्द्राजात एवं अंतरण आदि अपीलांट के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य व अस्तित्वहीन होंगे। संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया ज़ाता है कि प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात के भू–अभिलेख की दिनांक 23.03.2022 से ठीक पूर्व की स्थिति बहाल करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया ज़ावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की ज़ाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इज़लास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner